रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2014 ज्येष्ठ 26, 1936
No. 321] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2014/JYAISTHA 26, 1936

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 जून, 2014

सा.का.नि. 406(अ).–एतद्द्वारा राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालयों में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-I भर्ती नियम, 2007 का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालयों में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालय, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I भर्ती नियम, 2014 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं :** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।